प्रेस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

12th अगस्त 2026

केंद्रीय स्वायत्त निकायों पर सीएजी का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2026 की प्रतिवेदन सं.9) प्रस्तुत

वर्ष 2026 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 9 में मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन केंद्रीय स्वायत निकायों (सीएबी) की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। सीएबी का उद्देश्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से अनिवार्य रूप से सार्वजनिक उपयोगिताओं की कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना या सरकार के विशिष्ट कार्यक्रमों तथा नीतियों को निष्पादित करना है। वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने अनुदानों के रूप में सीएबी को ₹1,13,012.01 करोड़ जारी किए जिसमें से ₹13,464.22 करोड़ 31 मार्च 2023 तक अप्रयुक्त रहे। वित्तीय तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैः

सीएबी के लेखे की वित्तीय लेखापरीक्षा

- सीएजी द्वारा 479 सीएबी के लेखे की लेखापरीक्षा की जानी थी। वर्ष 2022-23 के लिए 250 सीएबी के वार्षिक लेखे 30 जून 2022 की नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए थे।
- 31 मार्च 2024 तक 11 सीएबी द्वारा एक वर्ष से नौ वर्षों तक के वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
- 44 सीएबी ने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखे संशोधित किए। पांच सीएबी के वार्षिक लेखे पर प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं तथा एक सीएबी को राय का अस्वीकरण दिया गया था।

- 132 सीएबी तथा 111 सीएबी की क्रमश: अचल परिसम्पत्तियों तथा भंडार सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

- मार्च 2023 में समाप्त वर्ष के लिए सीएबी के वित्तीय विवरणी में महत्वपूर्ण विचलन/गलत विवरण पाए गए थे जिनके परिणामस्वरूप देनदारियों, परिसम्पत्तियों, आय तथा व्यय को अधिक/कम दर्शाया गया।

- 27 सीएबी ने न तो सरकार से प्राप्त अनुदान पर अर्जित ₹121.82 करोड़ के ब्याज को वापस किया था और न ही अपने लेखे में उसके लिए देनदारी का सृजन किया।

- 164 सीएबी ने उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखांकन नहीं किया।

अनुपालन लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ- कुछ महत्वपूर्ण मामले नीचे उजागर किए गए हैं:

- साहित्य अकादमी की डीडीए द्वारा आवंटित प्लॉट को स्वीकृत करने से पूर्व उसकी स्थिति का आकलन करने में सर्तकता की कमी के परिणामस्वरूप तीन बार अनुपलब्ध/बाधाग्रस्त प्लॉटों का आवंटन हुआ, जिससे प्लॉट के लिए डीडीए को भुगतान किए गए ₹83.07 लाख की राशि अवरुद्ध हुई।

- शिक्षु प्रशिक्षण मंडल, मुंबई द्वारा नीति आयोग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में समान्य श्रेणी के शिक्षुओं को कुल ₹17.34 करोड़ की एससी/एसटी सहायता अनुदान का अनियमित उपयोग।

- केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के संकाय सदस्यों द्वारा लैपटॉप/डेस्कटॉप/टैबलेट आदि के प्रापण के लिए कुल ₹1.34 करोड़ के संचयी व्यावसायिक विकास भत्ता का अनियमित भुगतान।

- कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांदरबल द्वारा आउटसोर्स श्रमशक्ति के लिए छुट्टी नकदीकरण की अनियमित प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप ₹76.31 लाख की हानि हुई।

- तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा ₹8.16 करोड़ की राशि के माल के प्रापण एवं निर्माण कार्यों के निष्पादन में जीएफआर 2017 तथा अन्य नियम

पुस्तक/विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹2.60 करोड़ की हानि हुई।

- भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता ने बिना वित्तीय विचार के एक निजी प्रतिष्ठान को स्कूल चलाने के लिए ₹12.54 करोड़ की तीन एकड़ भूमि एवं भवन का अनियमित रूप से कब्जा दिया जिसके परिणामस्वरूप किराया अनुबंध को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण कुल ₹6.50 करोड़ के राजस्व की गैर-वसूली हुई।

- इग्नू द्वारा एमओयू का नवीकरण करने में देरी से, जीवी स्टेशनों की सेवाएँ दो वर्षों तक बाधित रहीं और परिणामस्वरूप ₹23.57 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जिस दौरान कोई शैक्षिक प्रसारण नहीं किया गया। इसने लाइसेंस शुल्क/स्पैक्ट्रम प्रभारों पर ₹34.35 करोड़ का व्यय किया जबकि अधिकांश स्टेशन बंद थे या कम क्षमता पर काम कर रहे थे।

- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा सरकारी खाते में टीडीएस जमा करने के लिए निर्धारित समयसीमा के पालन न करने के परिणामस्वरूप कुल ₹54.24 लाख के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

- दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत तीन कॉलेजों अर्थात् राम लाल आनंद कॉलेज, शिवाजी कॉलेज तथा शहीद भगत सिंह (संध्या) कॉलेज में ₹2.01 करोड़ के विश्वविद्यालय विकास शुल्क की कम वसूली थी।

- एम्स ऋषिकेश द्वारा ठेकेदार पर कार्रवाई शुरू न करने के कारण ₹1.78 करोड़ की बकाया राशि की कम वसूली थी।

लेखापरीक्षा प्रभाव- लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, पांच सीएबी ने कर्मचारियों/ऋणी/ठेकेदारों से ₹5.14 करोड़ की वसूली की है। दो मामलों में, सीएबी ने सहायता अनुदान का अव्ययित शेष तथा उस पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹21.87 करोड़ भारत की समेकित निधि में प्रेषित किया है।

BSC/R/IK/60-26